उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-305/ग्यारह-2-17-9(62)/97

लखनऊः दिनाॅंकः मार्च, 2017

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

कार्यालय ज्ञाप संख्या-सी0एम0-1-32/ग्यारह-2-15-9(62)/97, दिनांक 12 सितम्बर, 2015 द्वारा श्री राम किशोर अग्रवाल को एक वर्ष के लिये वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश का सलाहकार नामित किया गया था तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-सी0एम0-1-27/ग्यारह-2-16-9(62)/97, दिनांक 12 सितम्बर, 2016 द्वारा उनका कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया था।

2- शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त श्री राम किशोर अग्रवाल की वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश के सलाहकार पद पर की गयी नियुक्ति को जनहित में श्री राज्यपाल तात्कालिक प्रभाव से समाप्त करते हुये उन्हें कार्यमुक्त करते हैं।

राजेन्द्र कुमार तिवारी

अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या-305(1)/ग्यारह-2-17-तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

2- कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

3- स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के कार्यालय आदेश संख्या-206/पीएस एमएस/2016, दिनांक 20-03-2017 के संदर्भ में।

4- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

5- राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उ0प्र0 शासन।

6- श्री राम किशोर अग्रवाल, निवासी भगवान गंज मण्डी, मोदी नगर गाजियाबाद।

7- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग लखनऊ को उक्त कार्यालय ज्ञाप की हिन्दी प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त कार्यालय ज्ञाप को असाधारण गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कर मुद्रित कार्यालय ज्ञाप की 50 मुद्रित प्रतियां

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कर एवं निबंधन अनुभाग-2, बापू भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ एवं 50 प्रतियां कमिश्नर, वाणिज्य कर उ0प्र0, गोमती नगर, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

8- गोपन अनुभाग-1।

9- गार्ड फाईल। आज्ञा से,

(एस0सी0द्विवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।